

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 43/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/243

दायर दिनांक :- 09.03.2021

निर्णय दिनांक :- 30.07.2025

वादी

बनाम

बीरबलराम पुत्र बरसिंगाराम
जाति विश्नोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

01. दयाराम पुत्र प्रहलादराम
गोदपुत्र उदाराम
02. अशोक कुमार पुत्र दयाराम
03. राधाकिशन पुत्र दयाराम
04. श्रीकिशन पुत्र दयाराम
05. छोदू पुत्र काछबा
06. सहीराम पुत्र छोदूराम
07. रामकिशन पुत्र छोदूराम
08. हीराराम पुत्र छोदूराम
09. लाच्छी पत्नि बलवन्ताराम
10. मनोहरराम पुत्र बलवन्ताराम
11. हजारीराम पुत्र बलवन्ताराम
12. बुधाराम पुत्र बलवन्ताराम
13. सुखराम पुत्र बलवन्ताराम
14. पूनाराम पुत्र बलवन्ताराम
15. सोहनलाल पुत्र बलवन्ताराम
16. भंवरूराम पुत्र बलवन्ताराम
17. अर्जुनराम पुत्र बरसिंगाराम
जाति विश्नोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला फलोदी
18. कमला पुत्री नेताराम
जाति विश्नोई नि० फतेहसागर
तहसील पीलवा जिला फलोदी
19. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
शाखा बाप जिला फलोदी
20. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.
शाखा बाप जिला फलोदी
21. श्रीमान तहसीलदार, बाप



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी, अधिवक्ता वादी
 2. श्री मोहम्मद रफीक अधि. प्रति.सं. 1 ता 17
 3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानासर नवसृजित ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 763 रकबा 342-04 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं. 18 ता 20 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 763 रकबा 342-04 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 763 रकबा 55.3933 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	बीरबलराम पुत्र बरसिंगाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी शाखा बाप	नेवा	763	16.1874 हैक्टेयर	बी-4
2	कमला पुत्री नेताराम जाति विश्नोई सा. फतेहसागर पीलवा खातेदार	नेवा	763	6.1512 हैक्टेयर	बी-4

3	अर्जुनराम पुत्र बरसीगाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा बाप	नेवा	763	6.1513 हैक्टेयर	बी-4
4	पूनाराम पुत्र बलवन्ताराम, बुधराम पुत्र बलवन्ताराम, भंवरूराम पुत्र बलवन्ताराम, मनोहरराम पुत्र बलवन्ताराम, सुखराम पुत्र बलवन्ताराम, सोहनलाल पुत्र बलवन्ताराम, हजारीराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक बाप।	नेवा	763	2.2743 हैक्टेयर	बी-4
5	छोटू पुत्र काछबा 1/4 हिस्सा, रामकिशन पुत्र छोटू 1/4 हिस्सा, सहीराम पुत्र छोटू 1/4 हिस्सा, हीराराम पुत्र छोटू 1/4 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार। रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा फलोदी सहीराम व छोटू का हिस्सा।	नेवा	763	6.1593 हैक्टेयर	बी-4
6	अशोक कुमार पुत्र दयाराम 1/4 हिस्सा, राधाकिशन पुत्र दयाराम 1/4 हिस्सा, श्रीकिशन पुत्र दयाराम 1/4 हिस्सा, दयाराम पुत्र प्रहलादराम गोदपुत्र उदाराम 1/4 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा फलोदी अशोक कुमार का हिस्सा	नेवा	763	18.4698 हैक्टेयर	बी-4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इस्लामदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता गीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

वादी

बीरबलराम पुत्र बरसिंगाराम
जाति विश्णोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला फलोदी

बनाम

प्रतिवादीगण

01. दयाराम पुत्र प्रहलादराम
गोदपुत्र उदाराम
02. अशोक कुमार पुत्र दयाराम
03. राधाकिशन पुत्र दयाराम
04. श्रीकिशन पुत्र दयाराम
05. छोदू पुत्र काछबा
06. सहीराम पुत्र छोदूराम
07. रामकिशन पुत्र छोदूराम
08. हीराराम पुत्र छोदूराम
09. लाच्छी पत्नि बलवन्ताराम
10. मनोहरराम पुत्र बलवन्ताराम
11. हजारीराम पुत्र बलवन्ताराम
12. बुधाराम पुत्र बलवन्ताराम
13. सुखराम पुत्र बलवन्ताराम
14. पूनाराम पुत्र बलवन्ताराम
15. सोहनलाल पुत्र बलवन्ताराम
16. भंवरराम पुत्र बलवन्ताराम
17. अर्जुनराम पुत्र बरसिंगाराम
जाति विश्णोई निवासी नेवा
तहसील बाप जिला फलोदी
18. कमला पुत्री नेताराम
जाति विश्णोई नि० फतेहसागर
तहसील पीलवा जिला फलोदी
19. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
शाखा बाप जिला फलोदी
20. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.
शाखा बाप जिला फलोदी
21. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 43/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व
हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम
दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा
नम्बर 763 रकबा 55.3933 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता
है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-


A
20/3/21

पक्षकारान् का नाम

क्रमांक	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हेक्टेयर	किस्म
1	बीरबलराम पुत्र बरसिंगाराम जाति विश्नोई सा देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी शाखा बाप	नेवा	763	16.1874 हेक्टेयर	बी-4
2	कमला पुत्री नेताराम जाति विश्नोई सा फतेहसागर पीलवा खातेदार	नेवा	763	6.1512 हेक्टेयर	बी-4
3	अर्जुनराम पुत्र बरसिंगाराम जाति विश्नोई सा देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा बाप	नेवा	763	6.1513 हेक्टेयर	बी-4
4	पूनाराम पुत्र बलवन्ताराम, बुधराम पुत्र बलवन्ताराम, भंवराराम पुत्र बलवन्ताराम, मनोहरराम पुत्र बलवन्ताराम, सुखराम पुत्र बलवन्ताराम, सोहनलाल पुत्र बलवन्ताराम, हजारीराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई सा देह खातेदार रहन यूको बैंक बाप।	नेवा	763	2.2743 हेक्टेयर	बी-4
5	छोटू पुत्र काछबा 1/4 हिस्सा, रामकिशन पुत्र छोटू 1/4 हिस्सा, सहीराम पुत्र छोटू 1/4 हिस्सा, हीराराम पुत्र छोटू 1/4 हिस्सा जाति विश्नोई सा देह खातेदार। रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा फलोदी सहीराम व छोटू का हिस्सा।	नेवा	763	6.1593 हेक्टेयर	बी-4
6	अशोक कुमार पुत्र दयाराम 1/4 हिस्सा, राधाकिशन पुत्र दयाराम 1/4 हिस्सा, श्रीकिशन पुत्र दयाराम 1/4 हिस्सा, दयाराम पुत्र प्रहलादराम गोदपुत्र उदाराम 1/4 हिस्सा जाति विश्नोई सा देह खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा फलोदी अशोक कुमार का हिस्सा	नेवा	763	18.4698 हेक्टेयर	बी-4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.07.2025 को जारी की गई।



सहायक कलेक्टर (सुखाराम पिण्डेल RAS)
बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Handwritten notes on the right margin of the document, including dates and names, such as '3/4/24', '11/5/24', and 'सुखाराम पिण्डेल'.